रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 163] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 1991/कार्तिक 7, 1913
No. 163] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 1991/KARTIKA 7, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1991

आ.अ 246(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग निदेश देता है कि इसकी तारीख 4 अप्रैल, 1991 की अधिसूचना संख्या 434/आ.प्र/ 91(2) में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे।

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में—

सब सं 27—नान्दयाल के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "6-जिला विकास अधिकारी, कुरनुल" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं. 434/आ.प्र./91(2)]
आदेश से,
बलवन्त सिंह, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 1991

O. N. 246(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendment shall be made in its notification No. 434/AP/91(2) dated the 4th April, 1991, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification—

for the existing entry against item No. 27-Nandyal, the entry "6-District Development Officer, Kurnool"

shall be substituted.

[No. 434/AP/91(2)]

By order,

BALWANT SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991